(2)

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

देहरादून: दिनांक 07 जून, 2016

लोक निर्माण अनुभाग–2

विषय.– वित्तीय वर्ष 2016–17 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 09 कार्यो की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड द्वारा विभिन्न विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये विभिन्न 10 कार्यो के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 25.40 किमी0 + 02 सेतु तथा लागत ₹ 199.42 लाख है, पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 199.42 लाख (₹ एक करोड़ निन्यानवे लाख बयालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में संलग्नक के कॉलम सं0–5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 09 कार्यो हेतु ₹ 0.90 लाख (₹ नब्बे हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:–1764 / III(2) / 10–17(सामान्य) / 2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो दरें शेड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)– स्वीकृत किये जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:– 2047 / XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में विभागीय आय–व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा। उपाख्यक व्यय अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें– आयोजनागत–800–अन्य व्यय–05–सड़क / भवन / सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण –00–24 वृहत निर्माण कार्य

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0

[illegible] कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व सम्बंधित अधिशासी अभियन्ता का [illegible]

. – वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31–03–2017 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि [illegible] कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में [illegible] में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायगा।

यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क [illegible]जनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे [illegible] की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाईन/मानक, पूर्ण रूप से [illegible] आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए [illegible]नुसार कार्यवाही की जाय।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान [illegible]–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें –आयोजनागत –800–अन्य व्यय–03 राज्य सेक्टर–02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3. यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–114(A)/XXVII(2)/2016 दिनांक– 31 मई, 2016 में [illegible] उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक– यथोपरि।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो. नि. वि.
रामनगर

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
प्रभारी सचिव

संख्या– 1870 (1)/ III(2)/16–69(प्रा0आ0)/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ए0एस0पांगती)
उप सचिव

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता ( )
नि0 [illegible] लो0 नि0 वि0
[illegible] (नैनीताल)

[illegible] का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 स0	कार्य का नाम	लम्बाई किमी0 में	कुल स्वीकृत लागत।	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	2	3	4	5
1	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–टिहरी के विकास खण्ड चम्बा के अन्तर्गत भागिरथीपुरम महड डांबरा मार्ग से ग्राम पंचायत नवागर के अन्तर्गत गैर थाती नामे तोक को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	2.50	36.25	0.10
2	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–थराली के विकास खण्ड घाट के अन्तर्गत चरबग से महादेव ताल तक लिंक रोड़ का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	5.00	63.50	0.10
3	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र–चकराता के अन्तर्गत [illegible] मोटर मार्ग [illegible] के पुनः निर्माण व सुधारीकरण का कार्य। (प्रथम चरण)	4.00	0.82	0.10
4	जनपद देहरादून के विधान् सभा क्षेत्र–चकराता के अन्तर्गत दुणदा बैण्ड से कोटीयारा होब्रसा चनीयारा, हिडका, गोणा कलैथा वस्ती मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	8.00	42.56	0.10
5	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र–गंगोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बडेथ के अन्तर्गत शल्या नामे तोक में 27.00 मी. विस्तार के पैदल लौह सेतु का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	27 mtr.	1.73	0.10
6	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र–गंगोलीहाट के अन्तर्गत थर्प बडेत बाफिला मोटर मार्ग के किमी. 2 से कनदौना–पगथोली–बजेत मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	4.00	47.20	0.10
7	जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र–कालाढूंगी के अन्तर्गत कोटाबाग क्षेत्र (गजारी) पाण्डेगांव में गोलज्यू मन्दिर तक सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	0.500	0.50	0.10
8	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र–यमुनोत्री के विकास खण्ड नौगाव के अन्तर्गत मिशणी पैदल मार्ग के हनुमान गगा पर पैदल पुल का निर्माण कार्य।	54 mtr.	2.16	0.10
9	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–घनसाली के विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत बुढ़ाकेदार अंयारखाल लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	1.40	4.70	0.10
	योग:–	25.40 +	199.42	0.90

(कुल ₹ नब्बे हजार मात्र)

प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
रामनगर

(ए०एस०पांगती)
उप सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Secratary PWC (S033)

आदेश पत्र संख्या - 1870/III(2)/16-19(P.E.)/2016 | आवंटन आई डी - S1606220052

अनुदान संख्या - 022 | आवंटन पत्र दिनांक -03-Jun-2016

HOD Name - Chief Engineer PWD (4227)

लेखा शीर्षक 5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | 04 - जिला तथा अन्य सड़कें

800 - अन्य व्यय | 05 - राज्य सेक्टर

02 - नया निर्माण कार्य

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत निर्माण कार्य	1040000	90000	1130000
	1040000	90000	1130000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 90000

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
रामनगर

परिशिष्ठ

(देखिये नियम 6)

फार्म "क"

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा 2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग – 1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरा जाने के लिये)

1	**परियोजना का विवरण**		
(i)	**अपेक्षित वन** भूमि के लिए प्रस्ताव / **परियोजना** / स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	:	जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र कालाढुंगी के अन्तर्गत कोटाबाग क्षेत्र (गजारी) पाण्डेगॉव में गोलज्यू मन्दिर तक सी0 सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।
(ii)	1 : 50000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	:	संलग्न है।
(iii)	परियोजना की लागत।	:	₹ 0.50 लाख।
(iv)	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	:	स्थानीय जनता को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा स्थानीय जनता को यातायात की सुविधा उपलब्ध होने के साथ सीधे ब्लॉक मुख्यालय से जुड़ जायेगे। आरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है।
(v)	लागत लाभ वि ले ाण (संलग्न किए जाने के लिये)।	:	आवश्यकता नहीं है।
(vi)	रोजगार जिनके पैदा होने की सम्भावना है।	:	फल / सब्जियों का उत्पादन बढ़ेगा, मुर्गी पालन / पशु पालन में वृद्धि होगी। पर्यटन बढ़ेगा एवं अन्य छोटे–छोटे रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे।
2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण।	:	(नीचे तालिका देखें)

भूमि का प्रकार	प्रभाग का नाम / रेन्ज का नाम	कुल भूमि
वन पंचायत भूमि	रामनगर वन प्रभाग रामनगर/कालाढुंगी रेन्ज	0.360 है0
सिविल सोयम वन भूमि	रामनगर वन प्रभाग रामनगर/कालाढुंगी रेन्ज	0.000 है0
	कुल	0.360 है0

3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।	:	शून्य
(i)	परिवारों की संख्या।	:	शून्य
(ii)	अनुसूचित जाति/ जनजाति के परिवारों की संख्या।	:	शून्य
(iii)	पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिये)	:	शून्य
4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत मंजूरी आव यक है ? (हॉ/नही)	:	नहीं
5	**प्रति** पूरक वनीकरण करने तथा उसके **अनुरक्षण** और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक **वनीकरण** की लागत के साथ – साथ राज्य **सरकार** द्वारा तैयार की गई योजना के **अनुसार संरक्षण** लागत और सुरक्षा क्षेत्र **आदि में पुनः** वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाय)	:	संलग्न है।
6	निर्दे ों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों का ब्यौरा।		संलग्न है।

दिनांक –

स्थान – रामनगर

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
रामनगर

(इं0 महेन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0 नि0 वि0
रामनगर (नैनीताल)

भाग – 2
(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या ....

7. परियोजना / स्कीम का स्थान

(i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र'	:	उत्तराखण्ड
(ii)	जिला	:	नैनीताल।
(iii)	वन प्रभाग	:	रामनगर वन प्रभाग, रामनगर
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)।	:	**भूमि का प्रकार — प्रभाग का नाम / रेन्ज का नाम, — कुल भूमि** वन पंचायत भूमि रामनगर वन प्रभाग रामनगर/कालाढुंगी रेन्ज 0.360 है0 सिविल सोयम वन भूमि रामनगर वन प्रभाग रामनगर/कालाढुंगी रेन्ज 0.0000 है0 कुल 0.360 है0
(v)	वन भूमि की कानूनी स्थिति	:	आरक्षित वन भूमि।
(vi)	हरियाली का घनत्व	:	0.4 एन0पी0वी0 की धनराशि
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई / जलीय परियोजना के सम्बन्ध में एफ आर एल, एफ आर एल– 8 मीटर पर परिगणना और एफ आर एल–4 मीटर भी संलग्न की जाय।	:	सूची संलग्न
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	:	शून्य
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	:	वन सीमा से लगा हुआ है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का मार्ग है (यदि हॉं, क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियॉं अनुबन्धित की जाए)	:	
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्टि प्रजातियां पाई जाती हैं यदि हां / तो तत्संबंधी व्यौरा दें।	:	नहीं
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रति ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	:	नहीं
8	**प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग – 1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है, यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के व्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।**	:	अन्य कोई बैकल्पिक भूमि न होने के कारण आरक्षित वन पंचायत भूमि की मांग न्यूनतम है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हॉं/नहीं) यदि हॉं, तो कार्य की अवधि, दो ी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	:	*नहीं*

10 प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा

(i)	प्रतिकर वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र / अवक्रमित वन क्षेत्र, आस–पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की सख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	: नहीं
(ii)	प्रतिकर वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर / अवक्रमित वन क्षेत्र और आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	: नहीं
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	: प्रजाति कार्यान्वयन एजेंसी रामनगर वन प्रभाग, रामनगर
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	: संलग्न है।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाणपत्र (संबंधित उप वन सरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)।	: आव यकता नही है।
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिर्पोट विषे तः उपर्युक्त कॉलम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)।	: संलग्न है।
12	विभाग / जिला प्रोफाइल	
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	: 679400.00 है0
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	: 402640 है0
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र।	: सं0 एवं है0 क्षेत्र
(iv)	1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	: 529.2399 है0
	(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि।	: रिक्त
	(ख) वनेतर भूमि परन	: रिक्त
(v)	कुल प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति।	: है0
	(क) वन भूमि पर	: रिक्त
	(ख) वनेतर भूमि पर	
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सबंध में उप वन संरक्षक की विशे । सिफारिश।	:

हस्ताक्षर

नाम

सरकारी मोहर

दिनांक :

स्थान .

भाग–3
(संबधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

स्थल जहॉं की वन भूमि शामिल की गयी है, क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हॉं / नहीं) यदि हॉं तो निरीक्षण की तारीख और किये गये परीक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करे।

या संबंधित वन संरक्षक भाग–2 में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश

हस्ताक्षर

नाम :

सरकारी मोहर

भाग–4

अधिकारी **अथवा प्रधान मुख्य** वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

साथ प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग को विस्तृत **निर्दिष्ट सिफारिशें:**

तत्समय, संबधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट दी जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी भी दी जाये)

हस्ताक्षर

नाम :

सरकारी मोहर

भाग—5

(वन विभाग के प्रभारी अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य
प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे
का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

राज्य सरकार की सिफारिश :

(उपर्युक्त भाग ख या भाग ग या भाग घ में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये)

हस्ताक्षर

नाम :

सरकारी मोहर